



- v. स्कूली बच्चों को भीषण गर्मी से बचाने के लिए आवश्यक है कि विद्यालय या तो सुबह की पाली में ही संचालित हों अथवा गर्मी की छुटियाँ निर्धारित समय से पूर्व घोषित कर दी जाँय। गर्मी की स्थिति को देखते हुए स्कूलों को अल्प अवधि के लिए भी बन्द किया जा सकता है।
- vi. सभी स्कूलों में पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित करायी जाए।
- vii. सरकारी ट्यूबवेल के समीप अथवा अन्य सुविधायुक्त स्थानों पर गड़ढा खुदवा कर पानी इक्कठठा किया जाए, ताकि पशु-पक्षियों को पानी मिल सके।
- viii. मनरेगा अन्तर्गत तालाबों/ आहर इत्यादि की खुदाई की योजनाओं में तेजी लायी जाए, जिससे इनमें पानी इक्कठठा कर पशु-पक्षियों को पानी उपलब्ध कराया जा सके।
- ix. स्वास्थ्य विभाग द्वारा सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों/ रेफरल अस्पतालों/ सदर अस्पतालों/ अनुमंडलीय अस्पतालों/ मेडिकल कॉलेजों/ अस्पतालों में लू से प्रभावितों के ईलाज हेतु विशेष व्यवस्था कर ली जाए। सभी स्वास्थ्य केन्द्रों एवं अस्पतालों में पर्याप्त मात्रा में ओ0आर0एस0 पैकेट, आई0 भी0 फ्लूड एवं जीवन रक्षक दवा इत्यादि की व्यवस्था कर ली जाए।
- x. अत्यधिक गर्मी से पीड़ित व्यक्ति को ईलाज हेतु आवश्यकतानुसार अस्पतालों में आईसोलेसन वार्ड की व्यवस्था कर ली जाए एवं लू से पीड़ित बच्चों, बूढ़ों, गर्भवती महिलाओं तथा गम्भीर रूप से बिमार व्यक्तियों का विशेष ध्यान रखा जाए। आवश्यकतानुसार प्रभावित जगह हेतु स्टैटिक/ चलन्त चिकित्सा दल की भी व्यवस्था कर ली जाए।
- xi. भीषण गर्मी के कारण आग लगी की घटनाओं में भी वृद्धि हो जाती है। आग लगी की घटनाओं से निबटने एवं उनके रोकथाम के लिए एतद् विषयक विभागीय मानक संचालन प्रक्रियानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करायी जाए।
- xii. प्रायः बिजली के तारों के लूज रहने के कारण वे हवा चलने पर आपस में टकराते रहते हैं जिससे चिनगारी निकलने की संभावना रहती है। इन चिनगारियाँ के कारण भी आगलगी की घटनाएँ होती हैं। अतएव बिजली के लूज तारों को भी ठीक रखने की व्यवस्था की जाए।
- xiii. गर्म हवाएं/ लू से बचाव के उपाय से संबंधित IEC सामग्री संलग्न है। इसे स्थानीय स्तर पर मुद्रित करवाकर इसका पम्पलेट/ पोस्टर के माध्यम से प्रचार-प्रसार कराया जाए। साथ ही स्थानीय प्रचार माध्यमों का भी उपयोग किया जा सकता है।

अनुरोध है कि उपरोक्त के आलोक में आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने की कृपा की जाए।

अनुलग्नक: यथोपरि।

विश्वासभाजन

ह0/-

(व्यास जी)

प्रधान सचिव

ज्ञापांक .....1584...../आ0प्र0

पटना-15, दिनांक- 18/4/16

प्रतिलिपि: प्रधान सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग / नगर विकास विभाग / शिक्षा विभाग / स्वास्थ्य विभाग / लघु जल संसाधन विभाग / ऊर्जा विभाग / सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

04/18/16  
प्रधान सचिव